राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या–352/2012/कोटा
2. अपील संख्या–353/2012/कोटा

मैसर्स गैमन इण्डिया लि.,
के.टी.पी.एस. काम्पलेक्स, सकतपुरा, कोटा। .....प्रार्थी

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी,
   वर्क्स टैक्स, कोटा।
2. उपायुक्त (अपील्स) अजमेर, कैम्प कोटा। .....अप्रार्थीगण.

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री एम.एल.पाटौदी, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक ..... राजस्व की ओर से

निर्णय दिनांक : 21.02.2017

निर्णय

1. यह दोनों अपीलें अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, केम्प कोटा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 80/2012 एवं 81/2012 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 01.12.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स टैक्स, कोटा (जिसे आगे **"निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत पारित आदेश दिनांक 29.09.2010 के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है। जिसके विरूद्ध अधिनियम की धारा 83 के तहत यह अपीलें कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

2. दोनों प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने अपील संख्या 352/2012 में मैसर्स नवेली लिगनाईट कोरपोरेशन लि0 बरसिंगसर प्रोजेक्ट बीकानेर से कार्यादेश दिनांक 31.05.2006 Naveli Barsingsar Project (2 x 125 MW) inducted draft Cooling Towers & RCC Chimney (PA6) Package से 38.88 करोड का प्राप्त किया जिसके सम्बन्ध में विभाग द्वारा मुक्ति प्रमाण (EC) क्रमांक 03/201 दिनांक 22.11.2006 1.5 प्रति0 मुक्ति शुल्क पर जारी किया अपीलान्ट ने अपील संख्या 353/2012 में आर ए पी पी, रावतभाटा से कार्यादेश क्रमांक 867 दिनांक 29.04.2004 Design, Const., Manufacture, Supply, Erection, testing and commissioning of Two No. Natural Draught. Cooling Tower for RAPP Project 5 & 6 से 18.00 करोड का प्राप्त किया जिसके सम्बन्ध में विभाग द्वारा मुक्ति प्रमाण (EC) क्रमांक 1/37 दिनांक 22.11.2006 1.5 प्रति0 मुक्ति शुल्क पर जारी किया, जबकि उक्त कार्य कथित तौर पर प्लान्ट स्थापना से संबंधित होने के कारण मुक्ति प्रमाण पत्र 2.25 प्रति. मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र जारी होना चाहिये था। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी को

लगातार.....2

निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 33 के तहत सूचना पत्र जारी किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार करते हुए पूर्व में जारी मुक्ति शुल्क प्रमाण को संशोधित करते हुए मुक्ति शुल्क की राशि 1.50 प्रति0 के स्थान पर 2.25 प्रति0 की गई एवं तदनुरूप ई.सी. को संशोधित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दी गई।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि निर्धारण अधिकारी ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत ई.सी. आवेदन पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं तथ्यों पर पूर्ण विचार करने के पश्चात अपीलान्ट को 1.5 प्रति. से मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र जारी किया है और अपीलान्ट द्वारा इसी आधार पर मुक्ति शुल्क जमा करवा कर कार्यसंविदा की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। इस प्रकार सुविचारित तरीके से जारी ई.सी. को बाद "चेन्ज ऑफ ओपीनियन" के आधार पर नहीं बदला जा सकता। अपने तर्को के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये :–

1. टैक्सवर्ल्ड वॉल्यूम 36 पेज 67 मैसर्स इलेक्ट्रो मेकेनिकल बनाम अति. आयुक्त
2. टैक्सअपडेट वो0 44 पार्ट–1 (2016) पेज 39 सीटीओ बनाम मै0.पेनार इण्ड. लि. (राज. उच्च न्यायालय)
3. सैल्स टैक्स केसस वो0 105 पेज 373 मै. प्यूरोलेटर इण्डिया लि. बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. (इलाहाबाद उच्च न्यायालय)
4. वैट एण्ड सर्विस टैक्स केसस (2015)80 वीएसटी 12 (एससी) वोल्टाज बनाम सरकार
5. टैक्सअपडेट वो0 29 पार्ट–7 (2011) पेज 253 एसीटीओ बनाम मक्कड प्लास्टिक एजे. (एससी)
6. टैक्सअपडेट वो0 15 पार्ट–8 (2006) पेज 45 अधिसूचना संख्या एफ.12(63)एफडी/ टैक्स/2005–80 दिनांक 11.08.200
7. टैक्सअपडेट वो0 31 पार्ट–2 (2011) पेज 68 सहा.आयुक्त बनाम यूनिटेक लि.
8. टैक्सअपडेट वो0 36 पार्ट–2 (2013) पेज 58 राकेश एन्टरप्राइजेज बनाम सीटीओ

विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अधिनियम की धारा 33 का दायरा काफी सीमित है, इसके तहत रेकार्ड से प्रत्यक्षदर्शी भूल को ही संशोधित किया जा सकता है, लेकिन मत भिन्नता अथवा कर दर के अन्तर के आधार पर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उन्होनें कथन किया कि फैक्ट्री बिल्डिंग के प्रि– फ्रेबिकेट/ प्री इन्जीनियर्ड स्टील शेड भी बिल्डिंग की परिभाषा में ही आते है, जिनके लिये 1.5 प्रति से ही सी जारी किया जाता है। अपने तर्क की पुष्टि में माननीय न्यायालय कर बोर्ड, अजमेर द्वारा पारित निर्णय 36 टैक्स वर्ड पेज 67,105 एसटी 373 का उद्धरण प्रस्तुत किया। अतः उन्होंने प्रस्तुत दोनों अपीलों को स्वीकारते हुए अपीलीय अधिकारी एवं सक्षम अधिकारी के आदेशों को निरस्त करने का निवेदन किया।

7. विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने निवेदन किया कि दोनों प्रकरणों में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अनुसार कार्यादेश की प्रकृति के अनुसार

लगातार.....3

व्यवहारी ठेकेदार को श्रेणीबद्ध किया जाना था और उस श्रेणी हेतु निर्धारित दर के आधार पर ही ई.सी. जारी करना था। यदि भूल से व्यवहारी की श्रेणी गलत निर्धारित हो गई है तो यह रिकार्ड से प्रत्यक्ष दर्शी भूल है न कि सुविचारित निर्णय। अतः रिकार्ड से स्पष्ट भूल को संशोधित करते हुए सही वर्गीकरण करते हुए आदेश पारित किया गया है। उन्होनें व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों निगरानियों का खारिज करते हुये अपीलीय अधिकारी के आदेशों को यथावत रखने का निवेदन किया।

8. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी एवं रिकार्ड व प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी ने अपील संख्या 352/2012 में मैसर्स नवेली लिगनाईट कोरपोरेशन लि0 बरसिंगसर प्रोजेक्ट बीकानेर से कार्यादेश दिनांक 31.05.2006 Naveli Barsingsar Project (2 x 125 MW) inducted draft Cooling Towers & RCC Chimney (PA6) Package से 38.88 करोड का प्राप्त किया एवं ई.सी. प्राप्त करने हेतु विभाग में फोर्म WT-1 में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसके साथ कान्ट्रेक्ट की प्रति भी संलग्न की गई जो पत्रावली में मौजूद है। जिसके अनुसार व्यवहारी द्वारा कूलिंग टावर व चिमनी के निर्माण का टर्नकी आधार पर कार्य किया जाना प्रमाणित होता है। कूलिंग टावर एवं चिमनी प्लान्ट का ही विस्तार है, जो प्लांट को ठंडा करने/गैस उत्सर्जित करने में काम आता है। कान्ट्रेक्ट के आधार पर इनके निर्माण में सीमेन्ट, बजरी, गिटटी, स्टील, ईंट आदि का उपयोग कर जिससे कूलिंग टावर व चिमनी का निर्माण किया गया है। ऐसी कार्य संविदा पर कर मुक्ति शुल्क के लिए जारी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 का संबंधित भाग निम्न प्रकार से है :–

S.No. 2130 F.12(63) FD/Tax/2005-80 Dated : 11.08.2006

"Item No.	Description of work contract	Rate of exemption fee % of the total value of the contract
1.	2.	3.
1.	[Work contract where the cost of material does not exceed five percent of the total contract amount.]	0.25 %
2.	work contracts relating to building, roads, bridges, dams, sewerage system.	1.50 %
3.	**work contracts relating to installation of plants and machinery including pspo, water treatment plant, laying of pipe with material.**	**2.25 %**
4.	Any other kind of works contact not covered y	3.00 %

उक्त अधिसूचना के अनुसार उक्त कार्य संविदा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अनुसार क्रम सं. 3 पर 2.25 प्रतिशत ईसी की श्रेणी में आता है जिससे इस प्रकरण में व्यवहारी को 2.25 प्रतिशत का ई सी प्रमाण पत्र जारी करना चाहिये था लेकिन दृष्टि भूल से 1. 50 प्रतिशत के ई.सी. प्रमाण पत्र जारी किये गये, जो रेकार्ड से प्रत्यक्षदर्शी भूल है। इसलिये कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी 1.50 प्रति. के ई.सी. को संशोधित करते हुए अपने आदेश दिनांक 28.09.2010 द्वारा 2.25 प्रति. करने का निर्णय पारित किया।

लगातार.....4

कर निर्धारण अधिकारी के उक्त संशोधित आदेशों अधिनियम की धारा 33 के विरूद्ध अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपीलों को अस्वीकार किया है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी को कोई स्वविवेक से नहीं है कि वे अपने मन से कोई निर्णय करें। उन्हें राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अनुसार कार्यादेश की प्रकृति के आधार पर व्यवहारी ठेकेदार को श्रेणीबद्ध किया जाना होता है और उस श्रेणी हेतु निर्धारित दर के आधार पर ईसी जारी करना होता है। यदि भूल से व्यवहारी की श्रेणी गलत निर्धारित हो जाती है तो यह रेकार्ड पर एक प्रत्यक्षदर्शी भूल है, न कि सुविचारित निर्णय है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा उद्धरण निर्णयों के तथ्य हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने से इस पर लागू नहीं होते है। अतः इन दोनों प्रकरणों में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.12.2011 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है एवं व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य

21.2.2017
(मदन लाल)
सदस्य